Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जिला जैसलमेर में श्री रावलसिंह, कनिष्ठ अभियंता, जोधपुर डिस्कॉम नाचना व रूपराम (प्राईवेट व्यक्ति) 30,000/—रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार।**

जयपुर, 10 जुलाई, गुरूवार । ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. चौकी जोधपुर विशेष इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये आरोपी रावलसिंह कनिष्ठ अभियन्ता, जोधपुर डिस्कॉम नाचना जिला जैसलमेर व रूपराम (प्राईवेट व्यक्ति) को **30,000/— रूपये** की रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि एसीबी चौकी जोधपुर विशेष ईकाई को एक शिकायत इस आशय की मिली कि आरोपी रावलसिंह भाटी द्वारा परिवादी से उसके इजारे (किराये) के ट्यूबेल पर नया विद्युत कनेक्शन करने एवं उसका एस्टीमेंट बनाने की एवज में 40,000/— रूपये रिश्वत की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी रेंज जोधपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री हरेन्द्र कुमार महावर** के सुपरवीजन में ए.सी.बी. चौकी जोधपुर विशेष इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री ओमप्रकाश चौधरी** के नेतृत्व **पुलिस निरीक्षक श्री पदमपाल सिंह टीएलओ** ने आज मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी रावल सिंह कनिष्ठ अभियंता, जोधपुर डिस्कॉम नाचना जिला जैसलमेर द्वारा परिवादी से 30,000/— रूपये की रिश्वत राशि जम्भेश्वर भोजनालय, नाचना पर कार्यरत श्री रूपाराम (प्राईवेट) को दिलवाई, जिस पर एसीबी टीम द्वारा रूपाराम (प्राईवेट व्यक्ति) को 30,000/— रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों एवं आरोपी रावलसिंह कनिष्ठ अभियंता को गिरफ्तार किया गया है।

आरोपियो से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।